

श्री प्रदीप सिंह - 349 दिनांक 5-9-19

प्रेषक

अरविन्द मोहन विजोशी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-377/सो-4-2018-53(2)/2018

सेवा में

महानिबन्धक,
माओ उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद (प्रयागराज)।

नियुक्ति अनुभाग-4

विषय- श्री शान प्रकाश तिवारी, अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी, फैजाबाद (अयोध्या) की मुन्नी बेदी अन्धा तिवारी की चिकित्सा अंतिम प्रमाण लेने जाने के सम्बन्ध में।

संलग्नक दिनांक 21 अगस्त 2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निबन्धक (एम) उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-7471/IV-2502(Loose)/एडमिन ए-1 Sec. दिनांक 01.08.2019 के रुदन में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिषद) नियमावली 2011 एम यमसुशोधित 2014 एम 2016 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत श्री शान प्रकाश तिवारी अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी, फैजाबाद (अयोध्या) की मुन्नी बेदी अन्धा तिवारी के उपचार हेतु राष्ट्रीय मांजी कैंसर इन्स्टीट्यूट एम रिसर्च सेक्टर दिल्ली द्वारा प्रायोजित धनराशि रुपये-25,00,000/- को चिकित्सा विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा परामर्शोपरान्त प्रायोजित धनराशि रुपये-25,00,000/- की 98 प्रतिशत धनराशि रु-23,75,000/- (सयसे तेइस लाख पचाहत्तर हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सार्वभौमिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त राशि से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स मूलरूप में संलग्न हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के मुग्तान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनको द्वारा इससे पूर्व कोई चिकित्सा अतिरिक्त को प्राप्त नहीं किया गया है। यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अंतिम का समाप्तोत्पन्न करके मुग्तान किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस का मुग्तान पूर्व में तो नहीं किया गया है। उक्त चिकित्सा प्रतिभूति जनरल अधिकारी संख्या-14500/2009 संवेदना विह व अन्य बन्धन 0900 राज्य व अन्य में पारित माओ न्यायालय के अंतिम निर्णय के अंतर्गत होगी।

3- उक्त उच्च न्यायिक वित्त वर्ष 2019-2020 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अंतर्गत "लेखाकीर्णक 2014-व्याय प्रकल्पन-आयोजनसंख्या-105-सिविल और रोडान्त न्यायाधीश-05 वित्त एवं रोडान्त न्यायाधीश-49 चिकित्सा आय" के नामे उठाया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेशकीय संख्या-ई-12-1200/एस-2019, दिनांक-16-8-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- चारोंपारि।

भवदीय,

(अरविन्द मोहन विजोशी)
विशेष सचिव।

संख्या-377(1)/सो-4-2018, तददिनांक।

प्रतिनिधि, निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजिए-

- 1- महासंचालक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- उच्च न्यायाधीश, फैजाबाद (अयोध्या)।
- 3- कोषाधिकारी, फैजाबाद (अयोध्या)।
- 4- अपर निदेशक कोषागार, कपड़ेरी रोड, इलाहाबाद।
- 5- सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी द्वारा- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद(प्रयागराज)।
- 6- कार्य मुक्त।

For officer concerned.

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन विजोशी)
विशेष सचिव।

05/09/2019

Self Attested copy

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अयोध्या।

सेवा में,

अध्यक्ष वित्त समिति /

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्षा संख्या-08, जनपद न्यायालय फैजाबाद।

पत्रांक - मु0वि0अ0 / चिकित्सा प्रतिपूर्ति / 2019-20 / 3704

दिनांक-4/11/2019

विषय- श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी अपर जिला न्यायाधीश की पुत्री कु0 अम्बा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5656 दिनांक-9.10.2019 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी अपर जिला न्यायाधीश की पुत्री कु0 अम्बा द्वारा प्रदेश के अन्दर/बाहर के संस्थान-Rajiv Gandhi cancer institute and research centre sector-v, Robini delhi दिनांक 15.03.2019 से 19.09.2019 तक रोग थैलीसीमिया का उपचार कराया है। जिस पर कुल व्यय रूपया-2409288.00 तक की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है।

चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या 2367/पांच-6-11-1082/87 दिनांक 07/10-11-12 द्वारा प्राप्त अधिसूचना संख्या 2275/5-6711-1082-87 लखनऊ 20 सितम्बर 2011 में निहित प्रविधानों के अन्तर्गत कुल रूपया-2371139.00 (तैइस लाख इक्हत्तर हजार एक सौ उन्तालिस रूपया मात्र)की देय धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति की जाती है।

संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त अभिलेख मूल रूप से संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि यदि आवश्यक हो तो शासन के प्रशासनिक विभाग से नियमानुसार अपेक्षित स्वीकृत अपने स्तर से प्राप्त करें।

संलग्नक- समस्त बिल बाउचर मूल रूप में

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अयोध्या।

Self Attested
[Handwritten signature]



Shri Ram Hospital, Ayodhya, Faizabad

श्रीराम चिकित्सालय, अयोध्या, फैजाबाद



15 MAR 2019

Out Patient Department (OPD) Ticket

036621

Date: Department: OPD No.

Patient name: श्रीमती तिवारी S.D./W/o Age 74s Sex: M/F/Trans

Address: Chief complaint (s):

↳ Malacium major

History of present illness:

Past history /family history:

Medical/Surgical history/known drug allergy:

General Physical Examination					
Ht _____ cm	Wt _____ KG	Temp _____ °F	Pulse _____ /min	BP _____ mmHg	RR _____ /min
Pallor: Present /Absent	Icterus Present /Absent	Oedema: Present /Absent	Cyanosis: Present /Absent	Dehydration: Mild/Mod/Severe	

Systemic Examination (CNS /CVS / Resp)

Local Examination (Abdominal / Chest / Resp)

↳ Ref to Rajeev Gandhi Institute Delhi cause

Differential diagnosis	<p>Treatment plan: Rx</p> <p><u>Delhi</u></p> <p><u>Intia with galax & magne</u></p> <p><u>acursted</u></p>
Investigations	
Final diagnosis	

Self A. H. P. ...

डा० एच० के० पाठक
एम० डी० मेडिसिन
श्रीराम चिकित्सालय, अयोध्या

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश तिवारी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम,
फैजाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
फैजाबाद।

विषय:-

अपनी पुत्री का इलाज राजीव गांधी कैंसर इंस्टीच्यूट एण्ड
रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली में कराये जाने के संबंध में सूचना।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा अपनी पुत्री का इलाज
राजीव गांधी कैंसर इंस्टीच्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली में कराया जा रहा है
और वही से उसका बोन मेरो ट्रान्स प्लान्ट भी किया जाना है।

अतः सूचना माननीय महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही
हेतु सादर प्रस्तुत है।

आदर सहित।

दिनांक-25.05.2019

मधुवीर,
Madhuveer
25.05.2019
(ज्ञान प्रकाश तिवारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम,
फैजाबाद।

~~DDO.~~
~~D3~~
25515

25/5/19

Self-attested
copy